न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2013/00113

1. सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल निवासी बागडी फ्लोर मिल, सब्जी मण्डी के पास, छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा ।
2. कान्ही बाई बेवा श्री गोपाल निवासी खण्डगॉव तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. सुशीला पुत्री श्री गोपाल पत्नी श्री पप्पू जाति माली निवासी ग्राम थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल उर्फ रामेश्वर आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. श्रीमती लटूरी पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री रतन लाल जाति माली निवासी नावघाट सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. श्रीमती कन्या बाई पुत्री श्री कन्हैया लाला पत्नी श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. श्रीमती नटी बाई पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री रामनारायण जाति माली निवासी दानपुरा भगवानपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
6. श्रीमती मनभर पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवीस केशवपुरा नई बस्ती, कोटा ।
7. सब रजिस्ट्रार, सांगोद जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2013/00114

1. सत्यनारायण पुत्र श्री गोपाल निवासी बागडी फ्लोर मिल, सब्जी मण्डी के पास, छावनी रामचन्द्रपुरा कोटा ।
2. कान्ही बाई बेवा श्री गोपाल निवासी खण्डगॉव तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. सुशीला पुत्री श्री गोपाल पत्नी श्री पप्पू जाति माली निवासी ग्राम थेकडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. बाबूलाल उर्फ रामेश्वर आत्मज श्री कन्हैयालाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. लक्ष्मीनारायण आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
3. श्रीमती लटूरी पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री रतन लाल जाति माली निवासी नावघाट सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. श्रीमती कन्या बाई पुत्री श्री कन्हैया लाला पत्नी श्री कन्हैया लाल जाति माली निवासी ग्राम धूलेट तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. श्रीमती नटी बाई पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री रामनारायण जाति माली निवासी दानपुरा भगवानपुरा तहसील खानपुर जिला झालावाड ।
6. श्रीमती मनभर पुत्री श्री कन्हैया लाल पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवीस केशवपुरा नई बस्ती, कोटा ।
7. सब रजिस्ट्रार, सांगोद जिला कोटा ।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील सांगोद जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री उत्पल शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री राजेन्द्र वर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1 से 6 की ओर से दोनों अपीलों में।

निर्णय

दिनांकः 01.01.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील संख्या 2013/00113 अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगेद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.03.2011 एवं अपील संख्या 2013/00114 निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक अपील प्रारम्भिक डिक्री की होने तथा दूसरी अपील अंतिम डिक्री की होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 53, 54 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा में कुल 10 किता की रकबा 27 बीघा 02 बिस्वा भमि स्थित है । वादग्रस्त आराजी मृतक कन्हैया लाल जी के खाते

में दर्ज थी । मृतक कन्हैया लाल जी ने अपनी मृत्यु से पूर्व दिनांक 29.06.1994 को एक रजिस्टर्ड वसीयत उनके जीवनकाल में कर उक्त सम्पूर्ण आराजी का वादी एवं प्रतिवादी कम 01 को बराबर से मालिक बना दिया तथा वादी एवं प्रतिवादी कम 01 रजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर काबिज काश्त चले आ रहे है । वादी के पिता कन्हैया लाल की मृत्यु के बाद उनके खाते की आराजी का फौती इंतकाल रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.06.94 के मुताबिक तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु सभी प्रतिवादीगण का नाम फौती इंतकाल में दर्ज कर दिया जबकि सम्पूर्ण आराजी में वादी का वसीयत के मुताबिक 1/2 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए था । उक्त इंतकाल कानून के विरूद्ध अवैध होने से वादी के विरूद्ध बेअसर है । उक्त तथाकथित इंतकाल के आधार पर प्रतिवादीगण को किसी भी प्रकार का कोई अधिकार पैदा नहीं होता है । वादी के लिए आवश्यक हो गया है कि वह वसीयत के मुताबिक वादग्रस्त आराजी में 1/2 हिस्से की घोषणा करवाकर वसीयत के मुताबिक आराजी का विभाजन करवाये तथा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से में आई आराजी पर मदाखलत व मजाहमत नहीं करने बाबत् जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे । प्रतिवादीगण को तथाकथित इंतकाल संख्या 1410 अवैध इन्द्राजात के आधार पर वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का कोई अधिकार उत्पन्न नहीं होता है ।

4. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/2 हिस्सा मुताबिक वसीयत घोषित किया जाकर इंतकाल संख्या 1410 वादी के विरूद्ध अवैध एवं बेअसर घोषित किया जावे । वादग्रस्त आराजी से वादी को किसी तरह से बेदखल कर दे तो वादी को पुनः कब्जा दिलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के 1/2 हिस्से की आराजी में उनके कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

5. प्रतिवादीगण कम 1 व 2 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी का वादपत्र खारिज करने एवं काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का कथन किया ।

6. तत्पश्चात् वादी एवं प्रतिवादी कम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में 25.03.2011 को लिखित राजीनामा पेश कर राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने का कथन किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 25.03.2011 के द्वारा आपसी सहमति के आधार पर वाद डिक्री कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी कर दी तथा अपने निर्णय दिनांक 05.12.2011 के द्वारा विभाजन की अंतिम डिक्री जारी कर दी ।

8. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.03.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2011 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 03 लगायत 05 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील संख्या 2013/00113 एवं अपील संख्या 2013/00114 प्रस्तुत कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.03.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2011 निरस्त करने का कथन किया ।

9. दोनों अपीलों में अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम इन्टरनेट से खाते की नकल दिनांक 30.03.2013 को निकलवाने पर अपीलान्ट का नाम खाते नहीं होने से तहसील में अदालत में काफी तहकीकात करने के बाद पत्रावली देखने पर दिनांक 23.05.2013 को न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई । तब उसी समय नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 27.05.2013 को नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के प्रावधानों के विपरीत एक तरफा दावे में रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 के राजीनामे के आधार पर दिनांक 25.03.2011 को प्रारम्भिक डिक्री पारित की और दिनांक 05.12.2011 को अंतिम डिक्री पारित की है । समस्त पक्षकार रेस्पोडेन्ट कम 07 और 08 के अलावा कन्हैया लाल आत्मज प्रथा के बेटे–बेटी और पौते–पौती हैं । कन्हैया लाल की पुश्तैनी आराजी वादग्रस्त है । कन्हैया लाल का स्वर्गवास दिनांक 10.03.1998 को होने से पूर्व अपीलान्ट कम 01 के पिता गोपाल जी का भी स्वर्गवास दिनांक 28.04.1989 को हो चुका है । अपीलान्ट उनके विधिक वारिस हैं अपीलान्ट की दादी जगन्नाथी बाई का स्वर्गवास दिनांक 27.01.2013 को हुआ है। अपीलान्ट ने अपने पिता के हिस्से के लिए घोषणा, बंटवारे एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संख्या 12/ए/98 सत्यनारायण बनाम कन्हैयालाल पेश किया था जो दिनांक 17.11.2000 को डिक्री हो गया जिसकी पालना में अंतिम डिक्री पारित होकर वादीगण अपीलान्ट के हिस्से 1/8 में खसरा नम्बर 82 रकबा 15 ब्रिस्वा, खसरा नम्बर 824 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 825 रकबा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 1083 रकबा 04 बीघा 13 बिस्वा में से पूर्व की तरफ का रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा कुल 03 किता की रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा आराजी दर्ज की गई है और शेष आराजी प्रतिवादीगण के शामलाती खाते में रही । अपीलान्ट को तामील करवाये बिना समस्त पक्षकारों की रजामन्दी के बिना राजीनामा कर दिनांक 25.03.2011 को बंटवारे की डिक्री प्राप्त कर ली जिसका सर्वप्रथम ज्ञान अपीलान्ट को दिनाक 30.03.2013 को हुआ । पूर्व वाद के तथ्यों को छुपाकर कन्हैया लाल की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 29.06.94 के अनुसार 1/2 – 1/2 हिस्से के बंटवारे के लिए दावा पेश किया अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा आदेश पारित किया गया । रेस्पोडेन्ट कम 02 और 03 के द्वारा भी वसीयत के आधार पर काउन्टर क्लेम पेश कर 2/3 हिस्से की घोषणा की प्रार्थना की और रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 ने राजीनामा करके वसीयत दिनांक 20.06.97 के अनुसार दावा डिक्री करवा लिया । समस्त पक्षकारों की सहमति नही थी । आराजी पुश्तैनी है कन्हैया लाल को 1/3 हिस्से की वसीयत कराने का कोई अधिकार नहीं था । अपीलान्ट पुश्तैनी भूमि में गोपाल के हिस्से को प्राप्त करने के अधिकारी हैं । अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्ण्य दिनांक 17.11.2000 से 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित किया जा चुका है । सीधे ही अखबार में साया किया गया है । इसके लिए आदेशिका पर कोई आदेश नहीं है । तथ्यों को छुपाकर निर्णय पारित करवाया गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.03.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2011 निरस्त फरमाये जावें ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने लिखित बहस पेश की जो शमिल मिसल की गई । रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि अपीलान्ट की तलबी हेतु दिनांक 27.03.2004 को न्यायालय ने अखबार में साया कराने हेतु आदेश दिया गया था । रेस्पोडेन्ट ने इस आदेश की पालना में अखबार में साया करवाया था। सन् 2001 से पत्रावली तलबी में लम्बित थी और अखबार में साया होने के पश्चात् विधि सम्मत रूप से एक तरफा कार्यवाही की गई है । धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों को आधार बनाकर अपील प्रस्तुत की गई है उसका जवाब प्रार्थना पत्र रेस्पोडेन्ट के द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका है । अपीलान्ट ने कोई संतोषजनक एवं विश्वसनीय कारण विलम्ब के शमन के लिए नहीं बताया है । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का पेश किया है उसके साथ जो दस्तावेजात पेश किये हैं वो अपील पेश करने के समय ही अपीलान्ट के पास थे । जानबूझकर दस्तावेज समय पर पेश नहीं किये गये हैं प्रार्थना पत्र के साथ कोई शपथ पत्र भी नहीं दिया गया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.03.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2011 बहाल रखे जावें । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011 (2) पेज 851, आरआरटी 2004 (1) पेज 576, आरआरटी 2009–10 (सप्ली0) पेज 535 उद्वरत की ।

13. अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का लिखित रिबटल पेश किया और कथन किया कि दिनांक 27.03.2004 के आदेशानुसार प्रतिवादी संख्या 04 सुशीला पुत्री गोपाल की तलबी हेतु आदेश जारी किये गये हैं और आदेशिका दिनांक 16.08.2004 को प्रतिवादी संख्या 04 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । दिनांक 25.04.2005 को प्रतिवादी संख्या 03 के विरूद्ध अखबार में साया के अनुसार एक तरफा कार्यवाही की गई है परन्तु दिनांक 16.08. 2004 से दिनांक 25.04.2005 की आदेशिका के अनुसार कहीं भी सीपीसी के आदेश 05 नियम 20 में उल्लेखित प्रतिस्थापित तामील हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है । अपीलान्ट ने आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रकरण संख्या 12/ए/98 सत्यनारायण बनाम कन्हैयालाल के निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की है जिसमें रेस्पोडेन्ट बाबूलाल के द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया है । साक्ष्य अधिनियम की धारा 115 के अनुसार वो इसके विपरीत कथन करने से स्टोप्ड है । वसीयत दिनांक 20.06.1997 दावा संख्या 12/ए/98 में प्रस्तुत नहीं की गई थी । सहायक कलक्टर कोटा का निर्णय दिनांक 17.11. 2000 आज भी अस्तित्व में है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें ।

14. अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ सहायक कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 17.11.2000 की प्रमाणित प्रति संलग्न की है और संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

15. उक्त प्रार्थना पत्र का रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और कथन किया कि निर्णय दिनांक 17.11.2000 की पालना नहीं हुई । अपीलान्ट द्वारा समय पर दस्तावेज पेश नहीं किया है । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी खारिज फरमाया जावे ।

16. हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा

कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.11.2000 की प्रमाणित प्रति है और वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित के कारण प्रकरण से सम्बन्धित है । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

17. दोनों अपीलों में अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम इन्टरनेट से खाते की नकल दिनांक 30.03.2013 को निकलवाने पर अपीलान्ट का नाम खाते नहीं होने से तहसील में अदालत में काफी तहकीकात करने के बाद पत्रावली देखने पर दिनांक 23.05.2013 को न्यायालय के आदेश की जानकारी हुई । तब उसी समय नकल प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनांक 27.05.2013 को नकल प्राप्त कर ये दोनों अपीलें न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

18. रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट ने पर्याप्त कारण विलम्ब के शमन का नहीं दिया है । अपीलान्ट की उदासीनता एवं लापरवही के आचरण पर न्यायालय को नरम रूख नहीं अपनाना चाहिए । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का खारिज फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2011 (2) पेज 851, आरआरटी 2004 (1) पेज 576, आरआरटी 2009–10 (सप्ली0) पेज 535 उद्वरत की ।

19. हमने दोनों अपीलों में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया एवं उभयपक्षीय बहस पर मनन किया । अपीलान्ट के खिलाफ परीक्षण न्यायालय में एक तरफा कर्यवाही अमल में लायी गई है । उनकी तामील अखबार में साया के माध्यम से करवायी गई है । अपीलान्ट ने अपील में आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के साथ सहायक कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 17.11.2000 की प्रमाणित प्रति पेश की है । यह निर्णय अपीलान्ट के पक्ष में वादग्रस्त आराजी के बाबत् है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर हम इस प्रकरण में विलम्ब का शमन करते हुए अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि का शमन किया जाता है ।

20. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गई है । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 27.03.2004 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 04 की तामील अखबार में साया के माध्यम से कराने के आदेश दिये गये हैं और दिनांक 16.08.2004 को प्रतिवादी संख्या 04 के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । दिनांक 25.04.2005 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03 की सूचना जरिये अखबार होने के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही की गई है । दिनांक 20.09.2004 की आदेशिका के अनुसार प्रतिवादी संख्या 03, 10 और 11 की तलबी तलवाना पेश होने पर करवाये जाने के आदेश दिये हैं । दिनांक 25.10.2004, 20.12.2004 और

प्रकार दिनांक 21.02.2005, 11.04.2005 को भी प्रतिवादी संख्या 03 की तलबी के लिए तारीख दी गई थी । इसके उपरान्त दिनांक 25.04.2005 को प्रतिवादी संख्या 03 की सूचना ज़रिये अखबार होने के बावजूद अनुपस्थित होने पर एक तरफा कार्यवाही की गई है परन्तु प्रतिवादी संख्या 03 की तलबी अखबार से साया के माध्यम से किये जाने का कोई आदेश पत्रावली पर संलग्न नहीं है । इस प्रकार प्रतिवादी क्रम 03 की तलबी में सीपीसी की पालना नहीं की गई है । यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट संख्या 01, 02 और 03 जो अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 03, 04 और 05 हैं के द्वारा न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ सहायक कलक्टर, कोटा के निर्णय दिनांक 17.11.2000 की प्रमाणित प्रति पेश की है जो वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित है जिसके अनुसार उनको 1/8 हिस्से का खातेदार घोषित कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई है । यह निर्णय यदि किसी अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है तो विचाराधीन प्रकरण में इस निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पक्षकारों के अधिकार स्वत्व तय करना आवश्यक है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा जारी प्रारम्भिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है और प्रारम्भिक डिक्री के आधार पर अंतिम डिक्री भी त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

21. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपील अपीलान्ट संख्या 2013/00113 एवं अपील संख्या 2013/00114 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.03.2011 एवं अंतिम डिक्री दिनांक 05.12.2011 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को जवाबदेही एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.02.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

22. निर्णय आज दिनांक 01.01.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

1/1/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा